Serial No. 819 Deed No. 801

Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 28/01/2015 by Dilip Kumar
A stamp duty of Rs. 316800/- and other fees of Rs. 20350/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. 801 in Book No. 1, Volume No. 16 on pages from 349 to 360 and has been preserved in total 12 pages in C.D. No. 3 / Year 2015

Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rao)
Registering Officer, Danapur

Date: 28/01/2015 Token No: 820 /2015

विकास एकरारनामा

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक 28/01/2015 ई0 को निम्नांकित पक्षों के बीच निष्पादित किया जाता है।

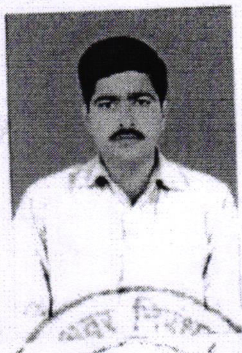

(1) श्री दिलीप कुमार पिता का नाम स्व0 अमरनाथ प्रसाद, निवास स्थान– मखदुमपुर थाना– दानापुर, पत्रालय– खगौल, जिला– पटना, भारतीय नागरिक।

(2) श्रीमती पुष्पा कुमारी पति का नाम श्री राजेश कुमार, निवास स्थान– मखदुमपुर थाना– दानापुर, पत्रालय– खगौल, जिला– पटना, भारतीय नागरिक।

(3) श्री मनोज कुमार पिता का नाम स्व0 अमरनाथ प्रसाद, निवास स्थान– मखदुमपुर थाना– दानापुर, पत्रालय– खगौल, जिला– पटना, भारतीय नागरिक।

MUNDESHWARI MULTICOM (P) LTD.
Managing Director

Sub District Registry Office,Danapur

n Number 820	Reg. Year 2015	Serial Number 819	Deed Number 801

Type	Name	Photo / Thumb / Index / Middle / Ring / Little
ented By	Dilip Kumar Dilip Kumar 28.01.2015	
cutant	Pushpa Kumari Pushpa-kumari 28-1-2015	
cutant	Dilip Kumar Dilip Kumar 28.01.2015	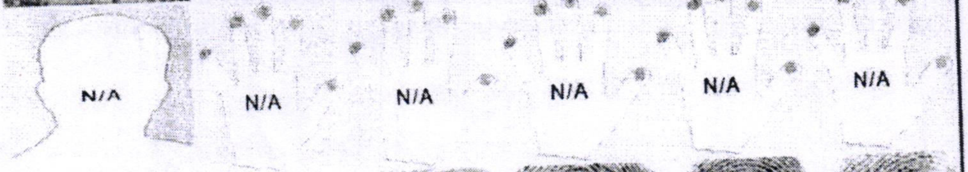
ecutant g.	Manoj Kumar Manoj Kumar 28-1-15	
laimant ig.	Samrendra Singh [signature] 28.1.15	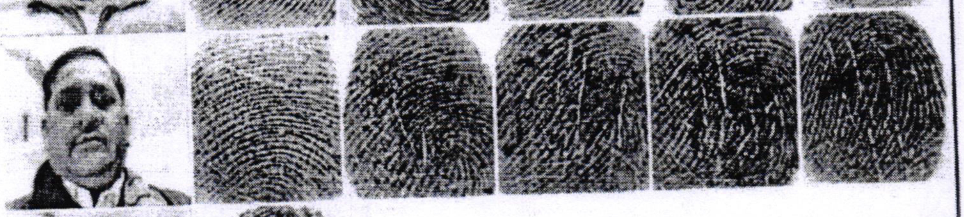
dentified By Sig.	Manish Singh Dangi मनिष सिंह दांगी 28/1/15	

जिन्हे आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने कि स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

और

मुण्डेश्वरी मल्टीकॉन प्रा0 लि0, बम्हौर पैलेस बुद्धा कॉलोनी पटना–1 जिसका निबंधन संख्या– U45201BR2007PTC013338, दिनांक– 26/12/2007 ई0 द्वारा प्रबंध निदेशक श्री **समरेन्द्र सिंह** पिता का नाम श्री सरयू सिंह, निवासी मोहल्ला– फ्लैट नं0– 501 तालूका अपार्टमेन्ट सरयू कम्पलेक्स बुद्धा कॉलोनी पटना– 1, थाना बुद्धा कॉलोनी, पत्रालय– जी0 पी0 ओ0, जिला – पटना, भारतीय नागरिक जिन्हे आगे डेवलेपर/ भवन निर्माता/ उन्नयनकर्ता/ विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है जिसमें इनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं जो इसमें द्वितीय पक्ष के रुप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ।

यह कि सम्वंधित जमीन मालिक का खानदानी समपत्ति है/जो जमीन मौजा– **लखनी बिगहा**, परगना– फुलवारी, थाना एवं सब रजिस्ट्री – दानापुर सदर रजिस्ट्री एवं जिला– पटना, जिसका थाना नं0 **41** (एकतालीस), तौजी संख्या– **5195**, खाता संख्या– **185 (एक सौ पचासी)** सर्वे प्लॉट संख्या– **14 (चौदह)** एराजी 66 डीसमल। जिसमे जमीन मालीक नं0– 1 मवाजी 22 डीसमल पर वो जमीन मालीक नं0– 2 मवाजी 22 डीसमल पर वो जमीन मालीक नं0– 3 मवाजी 22 डीसमल पर स्वामी के रुप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रुप से शांतिपूर्वक दखल–कब्जे में है जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख कि अनुसूची– 1 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है। जमीन मालिक नं0– 1 पुष्पा कुमारी का नाम से अंचल रसिद दानापुर के जमाबन्दी संख्या– 2241 एवं जमीन मालीक नं0– 2 दिलीप कुमार का नाम से अंचल रसीद दानापुर के जमाबन्दी संख्या– 2240 जमीन मालीक नं0– 3 श्री मनोज कुमार का नाम अंचल रसीद दानापुर के जमाबन्दी संख्या– 2239 पर दर्ज चला आता है।

यह कि अनुसूची– 1 में वर्णित सम्पत्ति एवं और भी अन्य दिगर सम्पत्ति के साथ जमीन मालिक का खानदानी सम्पत्ति है जो लेख्यकारीगण को अपने पुर्वज के स्वर्गवास के बाद अपने पाटीदार से आपसी बंटबारा द्वारा बंटकर और अन्य दिगर सम्पत्ति के साथ खास दाज हिस्सा मे प्राप्त हुआ है। वो तिथि आपसी बंटबारा के दिन से लेकर आज तक जमीन मालिक उपरोक्त अनुसुचि संख्या– 1 में वर्णित सम्पत्ति पर स्वतंत्र रुप से बहैसियत सम्पत्ति के सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पत्ति के उत्पतित आय को अपना उपयोग वो उपभोग में लाते हैं। इस प्रकार जमीन मालिक प्रथम पक्ष को उपर्युक्त जमीन (जिसका विवरण चौहद्दी अनुसूची– 1 में दर्शया गया है।) पर पूर्ण रुप से दखल कब्जा हासिल है। इस तरह लेख्य सम्पत्ति का अन्तरन एवं किसी भी प्रकार का एकरारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम है।

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची– 1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह भी सत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि अनुसूची– 1 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण–भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णतः मुक्त वो पाक–साफ है वो आज तक जमीन मालिक ने अनुसूची– 1 में वर्णित सम्पत्ति पर किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण नहीं लिये हैं और ना गिरवी रखे हैं और ना आज तक उपरोक्त सम्पत्ति से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज किन्हीं अन्य व्यक्ति एवं संस्थानों के पक्ष में इस विकास एकरारनामा के अलावा नहीं लिखें हैं और न कियें हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी ।

(1) यह कि वर्णित प्रथम पक्ष जो कि भूखण्ड स्वामिनी /स्वामि है तथा वर्णित सम्पत्ति (भूखण्ड) पर भूखण्ड स्वामिनी का दखल कब्जा शान्तिपूर्ण ढंग से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है भूखण्ड हर प्रकार के स्वत्वदोष वो ऋण भार से मुक्त तथा नुक्स हकियत वो वारदैन से पाक साफ है।

(2) यह भूखण्ड स्वामिनी/स्वामि आन्तरिक इच्छा से उपर वर्णित भूखण्ड का रचनात्मक विकास के लिए साथ–साथ उक्त भूखण्ड पर एक बहुमंजिला इमारत (आवासीय) आधुनिक तकनीक से फलैटों का निर्माण करवाने हेतु द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता के साथ यह भूखण्ड निर्माण विकास एग्रीमेन्ट (एकरारनामा) अभय पक्षों के बीच निष्पादन आपसी सहमती एवं निर्धारित शर्तो पर पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता की हालत मे अपना अपना नफा नुकसान सोच– समझकर बिना किसी के जोर दबाव के किया जाता है।

(3) यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष इस जमीन पर उपर्युक्त लिए गए निर्णय के अनुसार फलैटों का निर्माण करने के लिए सहमत है। इस निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा उस खर्च को विकासकर्त्ता पूर्णतया वहन करेंगे।

(4) यह कि एकरारनामा के होते ही विकासकर्त्ता (द्वितीय पक्ष) अपने हस्ताक्षर के माध्यम से उक्त जमीन के विकास के लिए अविलम्ब ही नक्शा बनवाएगे एवं विकासक अपने हस्ताक्षर से नक्शा पी० एम० सी०/डी० एम० सी०/ सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत करवायेगे इसमे प्रथम पक्ष को कोई उजूर वो एतराज नही है वो नही होगा।

(5) यह कि भूखण्ड स्वामिनी/स्वामि को उपर्युक्त नक्शा का पी० एम० सी०/ डी० एम० सी०/ सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेने के लिए विकासकर्त्ता (द्वितिय पक्ष) के हस्ताक्षर से जमा किया जाएगा, किन्तु प्रथम पक्ष की सहमति भी ली जायेगी, इसमें किसी भी पक्ष को एतराज नही होगा, परन्तु इसमें जो खर्च होगा यानि सभी खर्च विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
28.1.15
Managing Director

Pushpa - Kumari
28 - 1 - 2015

Dilip Kumar
28.01.2015

Manoj Kumar
28.1.15

3

(6) यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात् कुल निर्मित क्षेत्रफल का **41 प्रतिशत** (एकतालीस प्रतिशत) भूखण्ड स्वामिनी/स्वामि प्रथम पक्ष को पूर्ण रूप से विकसीत कर हर सुविधा के साथ सौपेगे तथा शेष हिस्सा **59 प्रतिशत** (उनसठ प्रतिशत) क्षेत्रफल विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष का होगा। दोनो पक्षो के हिस्से की गुणतर्त्ता किसी भी मामले में अलग नही होगा बल्की एक समान गुणवत्ता रहेगा।

(7) यह कि भूखण्ड स्वामिनी/स्वामि का हिस्सा एवं विकास कर्त्ता का हिस्सा Architect द्वारा बनाये जाने के बाद एवं सम्बधित ऑथोरिटी द्वारा नक्शा पास करने के बाद भूखण्ड स्वामिनी/स्वामि को उनके भवन/ब्लॉक दिया जायेगा। हिस्से में कम पड़ जाने के स्थिति मे दुसरे ब्लॉक मे भूखण्ड स्वामिनी को हिस्सा मिलेगा इससे दोनो पक्ष सहमत होगे।

(8) यह कि विकासकर्त्ता पी0 एम0 सी0/डी0 एम0 सी0/सक्षम प्राधिकार से नक्शा स्वीकृत होने के दिन से **5 वर्ष** (पॉच वर्ष) के अन्दर निर्णाण कार्य पूरा करेगे इसके अतिरिक्त **छः माह** का समय ग्रेस अवधि दिया जायेगा। एवं अगर विकास कर्त्ता तय सीमा के अन्दर जमीन मालिक के हिस्सा का सेयर हवाले नही करेगे तो 2,500/– रूपया प्रति फलैट के दर से प्रतेक महीना डेवलपर्स जमीन मालीक को देगे।

(9) यह कि द्वितिय पक्ष को अपने हिस्सा का **59 प्रतिशत** तथा पार्किंग एरिया का **59 प्रतिशत** बिकी एवं एकरारनामा करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(10) यह कि विकासकर्त्ता पहले भूखण्ड स्वामिनी/स्वामि के हिस्से का **41 प्रतिशत** निर्माण पूर्ण सभी सुविधाओं के साथ विकसित कर निर्माण अवधि के अन्दर सौप देगे। निर्माण कार्य दोनो पक्षों का एक साथ शुरू होगा एवं एक साथ ही पूर्ण होगा।

(11) यह कि इस एग्रीमेन्ट के तहत अभय पक्ष एक दुसरे को यह भी विश्वास दिलाते है कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल सुपर निर्मित क्षेत्रो मे दोनो पक्षों के प्रस्तावित सुविधाओ के साथ छत, सीढ़ी, लिफट, बालकोनी, एमिनीटिज, फलैटो का उपयोग एवं उपभोग उनके कमशः आवंटित हिस्सो पर स्वयं अथवा उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि खरीदार वगैरह अथवा सोसाईटी के लिए स्वतंत्र होगे।

(12) यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितिय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी प्रकार के कानुनी प्रकिया को पूर्ण करने का अधिकार होगा, जिससे की प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन हो सकें। निर्माण कार्य मे लागत पुंजी का कुल समावोश द्वितिय पक्ष स्वयं करेगें पुंजी मुहैय्या हेतु द्वितिय पक्ष के हिस्से का खरीदार किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण लेने, बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ अपने **59 प्रतिशत** क्षेत्र पर ही द्वितिय पक्ष करेगे।

Pushpa Kumari 28-1-2015

Dilip Kumar 28.01.2015

Manoj Kumar 28-1-15

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
28.1.15
Managing Director

कार्यालय (पटना)

(13) यह कि सरकारी नितियों के कारण मुकदमा के कारण या न्यायालय के आदेश के तहत निर्णाण कार्य रूक जाए तब वैसी हालत मे विकासकर्त्ता को दोष नही होगा। इस हालत मे विकासकर्त्ता द्वारा कार्य करने की अवधी जितना दिन कार्य बन्द रहेगा, उतना दिन के लिए अवधि बढ़ा दिया जायेगा। किन्तु द्वितिय पक्ष के द्वारा किसी तरह की गलत नितियों से कार्य बन्द होगा तो वह प्रथम पक्ष का दोष नही होगा एवं अवधि तय समय पर ही रहेगा।

(14) यह कि संबंधित विशेष जैसे रचनाकार, अभियंता सर्वेयर, ठेकेदार आदि की नियुक्ति विकासकर्त्ता को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

(15) यह कि बहुमंजिला इमारत, योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य के लिए सिमेन्ट, औजार, विधुत कनेक्शन, लोहा आदि अन्य संबंधित कार्या हेतु संबंधित पदाधिकारियों के पास आवेदन विकासकर्त्ता कर सकते है।

(16) यह कि द्वितिय पक्ष अपने **59 प्रतिशत** हिस्से का एग्रीमेन्ट निर्विवाद बिक्रय पत्र आवंटन किरायानामा आदि अभिलेख हेतु वांछित राशि लेकर उक्त अभिलेखो का निष्पादन करेंगे।

(17) यह कि भूखण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा, द्वितिय पक्ष को कार्यालय में उपयोग हेतू फोटो प्रति दिया जायेगा, जरूरत पड़ने पर मूल दस्तावेज को प्रथम पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

(18) यह कि उभय पक्षों के बीच यह भी सहमति प्रदान की गई है कि निर्मित क्षेत्रो का स्थानांतरण प्रत्येक केता को सरकार खर्च, स्टाम्प ड्युटी खर्च एवं कोर्ट खर्च एवं रजिस्ट्रशन खर्च का वहन खरीदार खुद करेंगे।

(19) यह कि बहुमंजिला इमारत में विधुत कनेक्शन की जमानत राशि प्रथम पक्ष का द्वितिय पक्ष द्वारा जमा होगा। हर फलैट में बिजली कनेक्शन हर फलैट मे एक टेलिफोन प्वांइट और एक टेलिविजन प्वांइट होगा उभय पक्षों के हर फलैट में जेनरेटर का कनेक्सन द्वितिय पक्ष द्वारा मुहैया कराया जायेगा।

(20) यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद इस एग्रीमेन्ट के अनुसार उत्पन्न होता है तो भू–स्वामी एवं विकासकर्त्ता के बीच निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आर्विट्रेशन एक्ट 1950 तथा संशोधित नियम के तहत किया जायेगा।

(21) यह कि प्रथम पक्ष भुस्वामी इस विकास एकरारनामा के द्वारा इस बात के लिए भी द्वितिय पक्ष विकासक को अधिकृत करते है कि द्वितिय पक्ष अगर अगल बलग या उससे सटे और मिला कर अपार्टमेन्ट/फलैट बनाने तथा विकास करने के लिए स्वतंत्र होगे। इसमे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

नही है वो नही होगी। किन्तु प्रथम पक्ष **41 प्रतिशत** के हिस्से मे किसी तरह की कमी नही होगी।

(22) यह कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विकासकर्त्ता और प्रथम पक्ष के द्वारा एक एसोसिएशन सभी सदस्यों को बनाया जायेगा। इस एपार्टमेन्ट मे रहने वाले सभी सदस्यो इस एसोसिएशन के सदस्य होगे और सभी सदस्य मिलकर एपार्टमेन्ट का रख रखाव एवं देखभाल करेगे फलैट के आजीवन रख रखाव के लिए तय सुदा एकमुश्त राशि जो प्रत्येक फलैट के लिए निर्धारित होगा इस राशि को प्रथम पक्ष (भूखण्ड स्वामी) के द्वारा डेभलर्पस को देना तय हुआ।

(23) यह कि सभी न्यायिक मामलो का निपटारा पटना अधिनस्थ न्यायालय से किया जायेगा।

(24) यह कि विकासकर्त्ता द्वितिय पक्ष अपने शेयर का निबंधन अपार्टमेन्ट एक्ट के तहत कर सकते है।

(24) यह कि भू–स्वामी अपने हिस्से की सम्पत्ति को देखरेख वो निरक्षण कर सकते है निर्माण कार्य वगैरह को इसमे विकासक / डेवलपर को कोई आपत्ति नही होगी।

(25) यह कि अनुसुची संख्या 1 के वर्णित सम्पत्ति मे जो भी इमारत बनेगी उसमे सभी जगह 41 प्रतिशत जमीन मालीक कि होगी वो 59 प्रतिशत विकासकर्त्ता कि होगी।

(26) यह कि सरकार द्वारा कोई कर (Tex) यदी फलैटों पर निर्धारित होता है या देय होता है तो दोनो पक्ष अपने अपने हिस्से के फलैटो पर सरकार को कर (Tex) देगे।

अनुसुची नं0–1

वह आवासीय परती जमीन जो मौजा– **लखनी बिगहा**, परगना– फुलवारी, थाना एवं सब रजिस्ट्री – दानापुर सदर रजिस्ट्री एवं जिला – पटना, जिसका थाना नं0 **41 (एकतालीस)**, तौजी संख्या– **5159** खाता संख्या– **185 (एक सौ पचासी)** सर्वे प्लॉट संख्या– **14 (चौदह)** एराजी 66 डीसमल।

चौहद्दी

उत्तर – सर्वे प्लॉट संख्या– 12
दक्षिण – सर्वे प्लॉट संख्या– 15
पुरब – सर्वे प्लॉट संख्या– 18
पश्चिम – सिवाना सरारी बादहु सर्वे प्लॉट संख्या– 527

Pushpa-Kumari 28.1.2015

Dilip Kumar 28.01.2015

28.1.15

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
28.1.15
Managing Director

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

जमीन का मुल्य मो0: 1,58,40,000/– रूपया (एक करोर अन्ठावन लाख चालीस हजार रूपया) मात्र है ।

अनुसुची नं0–2

संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण ।

ढांचा– सक्षम विभाग द्वारा स्वीकृत आर0सी0सी0 फेम ढांचा एवं भूकम्प अवरोधी ।

सिविल कार्य – स्टैन्डर्ड (मानक) कोटी का सिमेंट बालू एवं मसाला।

परिसज्जनः– सभी दीवाल तथा भीतरी सतह पर सफेद सीमेंट पुट्टी।

दरवाजे –दरवाजे का ढांचा स्टैन्डर्ड (मानक) सामग्री का तथा मुख्य दरवाजे पर लकड़ी / स्टैन्डर्ड (मानक) सामग्री का चौखट तथा दरवाजे का पल्ला वाटर प्रुफ प्लाई बोड स्टैन्डर्ड (मानक) कोटि का होगा और उसपर दो तह सिंथेटिक इनेमल पेंट होगा पेंट की गुणवत्ता साधारण से नीचे का नहीं होगा ।

खिड़कियॉ–आल्युमीनियम या यू0पी0भी0सी0 के फ्रेम में सीसा के साथ ।

फर्श– विट्रीफाईड टाईल्स ।

शौचालय– शौचालय में गर्म पानी का नल उच्च स्तर का होगा, टाईल्स 7 फीट की उॅचाई तक रंगीन लस्टर एवं उसी रंग का जमीन सभी शौचालय का साजोसामान आई एस आई मार्का का उपयोग होगा । किचेन का जमीन विट्रीफाईड का होगा।

रसोईघर– हरे संगमरमर का कार्य प्लेटफार्म तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी प्लेटफार्म से 2 फीट उंचा रंगीन ग्लेज्ड टाईल्स ।

बिजली व्यवस्था– मानक बिजली सामग्री के साथ कनसील्ड पी0 भी0 सी0 कण्डूईट वायरिंक शयन कक्ष मे ए0 सी0 प्वाइंट। उपरोक्त स्पेसीफिकेशन मे प्रमोटर/आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण मे कुछ संभव है।

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना) 7

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

Push Pa-Kumari 28-1-2015

Dilip Kumar 28.01.2015

Manoj Kumar 28-1-15

28-1-15

यह कि यह एकरारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोच–समझकर निम्नलिखित गवाहों समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे ।

दिनांक– 28/01/2015 ई0।

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

Dilip Kumar
28.01.2015

(श्री दिलीप कुमार)

Pushpa-Kumari
28-1-2015

(श्रीमती पुष्पा कुमारी)

Pushpa-Kumari
28-1-2015

28-1-15

(श्री मनोज कुमार)

28/1/15

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD

28.1.15

(श्री समरेन्द्र सिंह)
प्रबंध निदेशक
मुण्डेश्वरी मल्टीकॉन
प्रा0 लि0

अवर निबंधन कार्यालय
(पटना)

Pan- AAFCM3466J

)------------------ शब्दों में (रू०------------------------------------) मात्र

ते

र्ता हेतु)

(4) 880/15

बिहार सरकार

निबंधन विभाग, गैर न्यायिक

मों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंध शुल्क के

भुगतान के लिए बैंक चालान

कार का नाम /पता- MUNDESHWARI MULTICON PVT LTD. Patna.

जसकी ओर से जमा किया जा रहा है)-----

तावेज का प्रकार- ग्रा. विकाश एकरारनामा

बंधन कार्यालय- दानापुर

क का नाम एवं शाखा- SBI दानापुर

तान की जानेवाली राशी का विवरण :

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-गैर न्यायिक लघु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना उप 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई -75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र -R0030021030001, A/c No.-10963226587	316800	316800
शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष ...पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष -104- दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप -0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड - 30031040001, A/c No.-10963226576	20000	20000
शुल्क-मुख्य शीर्ष -0029- भू राजस्व लघु शीर्ष.-800- अन्य प्राप्तियाँ-उप 0006- अन्य मद्दें - प्राथमिक इकाई -75 49 भूमि निबंधन शुल्क से आय कोड- R0029008000006, A/c No.-10963226598	×	×

61

8340

0.5

का माध्यम : नगद/ चेक/ ड्राफ्ट कुल योग 336800/-

शि शब्दों में -----

Danapur
22.1.15

ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।

ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात ही मान्य होगी

जमाकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

336800
350
337,150

FOR USE OF THE BANK

सं0 ------ तारीख ------ उपर्युक्त कालम

05 में दिये गए विवरण के अनुसार रू0 -------/ शब्दों में-------

प्राप्त किया

प्राधिकृत पदाधिकारी का

निबंधन हेतु सर्विस चार्ज * जमा करने का

खा सं0 . A/c No. 30978446198

ने की तिथि :

लि सं0: -------

वेज के पृष्ठ की संख्या +2)X रू0 25/-

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

CASH RECEIVED CASH PAID
SBI, DANAPUR Br.-01254
RAJ KUMAR
ID No.-5998492
22 JAN 2015
बैंक की प्राप्ति एवं मुहर
INITIAL J.No.
CHECKED Q.No.

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	**Rs. 316800/-**	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	**Rs.**	**0/-**
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	**Rs. 0/-**	Amt.paid through Bank Challan	**Rs.**	**337150/-**

Registration Fee (FEE PAID)

A1	**19000**	C	**0**	H1b	**0**	K1a	**0**	Lii	**0**
A8	**0**	D	**0**	H2	**0**	K1b	**0**	Liii	**0**
A9	**0**	DD	**0**	I	**0**	K1c	**0**	Mb	**0**
A10	**0**	E	**1000**	J1	**0**	K2	**0**	Na	**0**
B	**0**	H1a	**0**	J2	**0**	Li	**0**		
							TOTAL-		**20000**

LLR + Proc Fee

LLR	**0**
Proc.Fee	**0**
Total	**0**

Service Charge: **350**

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20350

Registering Officer
Danapur

Date: 28/01/2015

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Wednesday, 28th January 2015 by Dilip Kumar S/O Late Amarnath Prasad by profession Others. Status - Executant

Dilip Kumar
28.01.2015

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:28/01/2015**

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Manish Singh Dangi' age '28' Sex 'M', 'S/O Ramashish Singh Dangi', resident of 'Sarari, Danapur, Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Danapur

Date : 28/01/2015

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 16 on pages on 349 -360 , for the year 2015 and stored in CD volume No. CD-3 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

दानापुर (पटना)

Registering Officer
Danapur

Date : 28/01/2015

Token No. : 820 **Year : 2015** **S.No. : 819** **SCORE Ver.3.0** **Deed No . : 801**

Scanned by.......

Checked by

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

FSB6820682

Elector's Name :Manish Singh Dangi
निर्वाचक का नाम :मनिष सिंह दाँगी
Father's Name : Ramashish Singh Dangi
पिता का नाम :रामअशीष सिंह दाँगी
Sex / लिंग : Male / पुरुष
Age : 19 Years as on 1.1.2005
आयु : १९ वर्ष १.१.२००५ को

Address : 29,Sarari,
Town/Vill - Sarari,
Anchal - Danapur,
Distt - Patna - 801105

पता : २९,सरारी,
शहर/गाँव - सरारी,
अंचल - दानापुर,
जिला - पटना - ८०११०५

Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
191,DANAPUR Constituency
१९१, दानापुर निर्वाचन क्षेत्र
के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर की अनुकृति

FSB6820682

Place : Danapur Date : 11/09/2005
स्थान : दानापुर दिनांक :११/०९/२००५

This Card may be used as an Identity Card under different Government Schemes.
इस पत्र का विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रुप में प्रयोग किया जा सकता है ।

मनिषसिंह दांगी
28/1/15

8/20/15